न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 27/2018 ::

अपीलांटगण :—

1. महेन्द्र कुमार पुत्र शेषमल
2. महावीरचंद पुत्र शेषमल
3. नेमीचंद पुत्र शेषमल
4. शांतिलाल पुत्र शेषमल
5. सुरजकंवर पत्नी शेषमल
6. लाड़ कंवर पुत्री शेषमल
7. निर्मला पुत्री शेषमल, जातिगण जैन, निवासीगण पाली, तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :—

1 तहसीलदार भूमिधारी रोहट, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
अधिवक्ता अपीलाण्टगण श्री मनीष राजपुरोहित
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 23/10/18

अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1206 दिनांक 23.08.2010 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम राणा पटवार हल्का राणा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 87/17 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी सोयम की खातेदारी भूमी बाबत तहसीलदार रोहट द्वारा जांच कर अपीलाण्टगण के पक्ष में नामान्तरकरण भरने का आदेश दिनांक 23.08.2010 को पारित किया गया। इसके ईतर गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 1206 भरा गया है। जैर अपील आराजी के पूर्व खातेदार मांगीलाल पुत्र हंसाजी जाति जैन निवासी भांवरी की खातेदारी भूमी थी। उन्होनें अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्टगण के पिता/पति शेषमल को गोद लिया था तथा एक व्यवस्थित गोदनामा भी निष्पादित करवाया गया था। मांगीलाल के देहान्त के पश्चात शेषमल उनका गोद पुत्र होने के नाते एवं शेषमल की भी मृत्यु हो जाने से अपीलाण्टगण उसके उतराधिकारी होने के नाते एक प्रार्थना पत्र शेषमल की विरासत में उनके नाम नामान्तरकरण भरने हेतु तहसीलदार रोहट के समक्ष पेश किया तो पता चला कि उनके द्वारा दिनांक 04.02.1997 को ही उक्त आराजी के संबंध में नामान्तरकरण भरा जा चूका है। जिसमें अपीलाण्ट के पिता शेषमल के अलावा अन्य चम्पालाल पुत्र मूलचंद, मोहनलाल पुत्र मूलचंद, पारसमल पुत्र मूलचंद, कन्यादेवी पुत्री मूलचंद के नाम भी उक्त खातेदारी भूमी के नामान्तरकरण में दर्ज कर दिए, जबकि अपीलाण्टगण के पिता/पति शेषमल ही उनका एक मात्र गोद पुत्र होने से उतराधिकारी था। जिससे व्यथित होकर

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

इसके विरूद्ध पूर्व में एक अपील इस न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जो अपील संख्या 81/2001 बअनवान महेन्द्र कुमार बनाम चम्पालाल वगैरा के नाम से दर्ज हुई, जिसका निर्णय दिनांक 06.07.2004 को किया गया। जिसके अनुसार नामान्तरकरण खारिज करते हुए पुनः मौके की जांच एवं मांगीलाल पुत्र हंसा एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके गोद पुत्र शेषमल पुत्र मांगीलाल की भी मृत्यु हो जाने से दोनों के बाद वारिसान की जांच एवं सुनवाई कर वैध उतराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण नए सिरे से पारित कराने हेतु प्रतिप्रेषित की गई थी। तहसीलदार रोहट द्वारा जांच कर सुनवाई की गई, बाद सुनवाई दिनांक 23.08.2010 को अपीलाण्टगण के पक्ष में आदेश पारित किया, परन्तु नामान्तरकरण में पृविष्टी आदेशानुसार न कर आदेश के विरूद्ध की गई, जिसे पुनः निरस्त किया जाकर मात्र अपीलाण्टगण का नाम ही बतौर शेषमल के उतराधिकारी दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। दिनांक 23.08.2010 को अपीलाण्टगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं दिनांक 22.12.2010 को जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1206 भूल वश पूर्वानुसार ही भर दिया गया। जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। जो अपीलाण्ट को बिना सुने, बिना जांच किए भरा गया है। जिसे पुनः निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्टगण के हक में नामान्तरकरण भराने का आदेश प्रदान करावें। अपीलाण्टगण ने दिनांक 23.05.2018 को जमाबंदी व म्यूटेशन की नकल प्राप्त की तब अपीलाण्टगण को प्रथम बार नामान्तरकरण भरे जाने की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जैर अपील आराजी में अपीलाण्टगण के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार कराकर गुणावगुण पर निर्णय फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व अपील संख्या 81/2001 के निर्णय दिनांक 06.07.2004 के द्वारा जैर अपील आराजी से संबंधित नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर रिमाण्ड किया गया था। मातहत अदालत तहसीलदार रोहट द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 08/2004 दर्ज कर बाद जांच एवं सुनवाई के दिनांक 23.08.2010 को निर्णय पारित करने पर पटवारी हल्का राणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1206 का इन्द्राज इस आदेश की पालना में किया गया है। तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई बकायदा निर्णय दिनांक 23.08.2010 को दिया जाकर पटवारी हल्का को निर्णय की प्रति प्रेषित करने पर पालना में भरा गया है। जिसके विरूद्ध अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त/अति. संभागीय आयुक्त महोदय को होने से तथा अपील लगभग आठ वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने से स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से निरस्त फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टगण के हक अधिकारों का प्रश्न होने से अपील म्याद के बिन्दु को गौण मानते हुए, जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पत्रावली में संलग्न मूल नामान्तरकरण संख्या 1206 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण के अन्तिम तीन कॉलम में पटवारी हल्का राणा द्वारा तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 08/2014 निर्णय दिनांक 23.08.2010 जो तहसीलदार रोहट के जरिए पत्रांक भू.अ./10/1974 दिनांक 09.09.2010 के द्वारा प्रेषित करने पर पालनार्थ भरा गया है। जिस पर भू अभीलेख निरीक्षक द्वारा जांच किया जाना व तहसीलदार रोहट द्वारा प्रमाणित किया जाने का स्पष्ट अंकन है। इस प्रकार तहसीलदार रोहट ने इस न्यायालय द्वारा पूर्व में रिमाण्ड

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

किए जाने का आदेश दिए जाने पर बाद जांच व सुनवाई के आदेश पारित किया गया, जिसे अपीलाण्ट स्वयं ने अपील पत्र में स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 81/2001 बअनवान महेन्द्र कुमार बनाम चम्पालाल वगैरा में पारित निर्णय की पालना में पुनः सुनवाई व बाद जांच कर आदेश पारित कर भरा गया है। ऐसा नामान्तरकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होकर श्रीमान संभागीय आयुक्त/अति. संभागीय आयुक्त महोदय को है, अगर अपीलाण्ट इससे व्यथित है तो उक्त न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

अपील अपीलाण्ट इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार रोहट को निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण संख्या 1206 लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)